निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 521) पटना, सोमवार, 27 जून 2016

सं० 5 / आ02—1027 / 2007—440

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

6 जून 2016

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, (संप्रति निलंबित) मुख्यालय:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध दिनांक 06.09.2007 की रात में निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने, पद का दुरूपयोग कर महिला नागरिक के समक्ष अश्लील प्रस्ताव रखने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित गंभीर आरोप का मामला सरकार के संज्ञान में आया साथ ही अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी के ज्ञापांक-438 दिनांक 07.09.2007 द्वारा सरकार को यह सूचित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी को निगरानी दल द्वारा गिरफ्तार कर कारा में भेज दिया गया है।

2. तदोपरान्त विभागीय आदेश सं0 5/आ02-1027/2007-509, दिनांक 24.10.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(2)(क) के तहत श्री प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. गंभीर आरोपों को देखते हुए आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (4) में विहित प्रावधानों के तहत आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-440 दिनांक 12.09.2008 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। आरोपी पदाधिकारी का प्रत्युत्तर उनके पत्रांक-शून्य दिनांक 24.09.2008 द्वारा प्राप्त हुआ। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-5/आ02-1027/2007-520 दिनांक 04.09.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

4. विभागीय कार्यवाही के दरम्यान आरोपित पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण/लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

5. श्री प्रसाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी, अपर विभागीय जांच आयुक्त श्री सुनील कुमार सिंह, के ज्ञाप संख्या-310/अ0वि0जा0आ0 दिनांक 27.07.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया है कि ''यह मामला रंगे हाथों से घूस लेने से संबंधित है और इसमे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, अत: सभी आरोप प्रमाणित होता है।''

6. आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-435 दिनांक 14.08.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से 15 दिनों के भीतर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

7. द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक-शून्य, दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। जिसमें मुख्यत: उन्होंने जांच संचालन के दौरान साक्ष्य/दस्तावेजों /साक्ष्यों की सूची आदि की मांग किये जाने पर जांच संचालन संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें उक्त कागजात नहीं उपलब्ध कराये जाने की बात कही तथा जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक पक्षीय सभी आरोपों को प्रमाणित मानकर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने को नियमानुकूल नहीं बताया। प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गई एवं पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर में उठाये गये बिन्दु उनके विरूद्ध गंभीर आरोपों से संबंधित कार्यवाही को एक लंबी अवधि तक टालने के नीयत से किया गया प्रयास है। उनके द्वारा प्रतिवाद स्वरूप किसी ठोस तथ्य को उजागर नहीं किया गया है। अत: उनके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर अस्वीकार्य पाया गया।

वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होते हैं। प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित प्रावधानों के तहत वृहत शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया।

8. तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-5/आ02–1027/2007–20 दिनांक 05.01.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना से श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रस्तावित वृहत शास्ति पर परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक-5/प्रो0-3-01/2016-368 लो0से0आ0 दिनांक 06.05.2016 द्वारा आयोग ने आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

9. अत: प्रमाणित आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, (संप्रति निलंबित) मुख्यालय:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श की समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक 20.08.2007) के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।'' शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नही होने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

10. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया, (संप्रति निलंबित) मुख्यालय:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक 20.08.2007) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित की जाती है:-

(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।

11. उपरोक्त कंडिका 10 में निहित शास्ति पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 521-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in